

3/12/19

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०नि०-02-08/2019

135

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

के०डी० प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बुडको।

पटना, दिनांक- 3-12-19

विषय:- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से अधिष्ठापित ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटों के असैनिक संरचनाओं के मरम्मत हेतु कुल ₹283.60671 लाख (दो करोड़ तिरासी लाख साठ हजार छः सौ एकहत्तर रु०) मात्र की योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी मॉनसून, 2020 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक- 6147, दिनांक- 29.11.2019 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पूर्व से अधिष्ठापित ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के असैनिक संरचनाओं यथा- भवनों की मरम्मत, पम्प हाउस के साथ विश्राम गृह एवं शौचालय निर्माण आदि कार्यों हेतु कुल ₹283.60671 लाख (दो करोड़ तिरासी लाख साठ हजार छः सौ एकहत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये उक्त अनुरोध एवं आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों में असैनिक संरचनाओं यथा- भवनों की मरम्मत, पम्प हाउस के साथ विश्राम गृह एवं शौचालय निर्माण आदि कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹283.60671 लाख (दो करोड़ तिरासी लाख साठ हजार छः सौ एकहत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र०सं०	ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4
1	पहाड़ी ओल्ड	23.73260	23.73260
2	पहाड़ी न्यू	19.63450	19.63450
3	पहाड़ी एन०बी०सी०सी०	21.54980	21.54980
4	धनुकी मोड़	91.36409	91.36409
5	आर०एम०आर०आई०	24.66136	24.66136
6	सन्दलपुर	102.66436	102.66436
	योग	283.60671	283.60671

अर्थात् कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹283.60671 लाख (दो करोड़ तिरासी लाख साठ हजार छः सौ एकहत्तर रु०) मात्र।

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(iii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में आवश्यकतानुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना से आवश्यक समन्वय स्थापित कर लिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्राप्त कर ली जाएगी।

4. उक्त योजनाओं के लिए अलग से राज्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा पटना नगर निगम के माध्यम से बुडको को राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,

kyj/3/12/19
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-08/2019 135 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-3-12-19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/अधीक्षण अभियंता, बुडको/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 (बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

kyj/3/12/19
सरकार के उप सचिव।

kyj
kyj